



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)



राजस्थान सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	V
अध्याय I प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का खाका	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	4
निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.7	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	13
अध्याय II निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग		
राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन	2.1	15
गृह विभाग		
राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2.2	41
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
पेयजल की गुणवत्ता	2.3	65

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय III अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना		
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग		
पाईपों की आपूर्ति पर परिहार्य व्यय	3.1.1	95
अनियमित एवं अनधिकृत व्यय	3.1.2	97
औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले	3.2	
श्रम विभाग		
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन नहीं किया जाना	3.2.1	100
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
तीन वर्ष से अधिक समय तक निधियों का अवरोधन	3.2.2	104
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग		
परियोजना के निष्पादन में विलम्ब	3.2.3	106
परिहार्य अतिरिक्त दायित्व का सृजन	3.2.4	108
सतत् एवं व्यापक अनियमिताएँ	3.3	
वित्त विभाग		
पेंशन का सतत् अधिक भुगतान	3.3.1	110
कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता	3.4	
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग		
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन	3.4.1	112

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभाग बालिकाओं के साथ भेदभाव को रोकने की योजनाओं का क्रियान्वयन	3.4.2	125
युवा मामले एवं खेल विभाग खेल अवसंरचना/स्टेडियम का निर्माण	3.4.3	143
चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी देयताओं की वसूली का अभाव	3.4.4	157
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग निधियों के अवरोधन से ब्याज की हानि	3.4.5	159
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गैर-परिचालित छात्रावासों से अनुदान की वसूली का अभाव	3.4.6	161
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुपयोगी रहना	3.4.7	163
सामान्य लेखापरीक्षा प्रेषणों का उत्तर	3.4.8	165

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दर्शाने वाला विवरण पत्र	169
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2009-14 के दौरान विभिन्न घटकों के प्राप्त में भौतिक एवं वित्तीय कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्र	172
परिशिष्ट 2.3	जिला प्रयोगशालाओं में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र	174
परिशिष्ट 2.4	जिला प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र	175
परिशिष्ट 2.5	प्रयोगशालाओं में आवश्यक स्टॉफ़, स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति	177
परिशिष्ट 2.6	एफटीके के माध्यम से परीक्षण किये जल स्त्रोतों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र	178
परिशिष्ट 2.7	2011-14 की अवधि के दौरान एफटीके के माध्यम से किये गये जल नमूनों का परीक्षण और जिला प्रयोगशालाओं में उनके प्रति-सत्यापन का विवरण पत्र	180
परिशिष्ट 2.8	ऑनलाइन पंजीकृत शिकायतों की देरी से निवारण करने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्र	181
परिशिष्ट 3.1	मुअ, जस्वाअवि एवं अधिअ, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदित पाईप की दरों के बीच अन्तर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	183
परिशिष्ट 3.2	किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराये जाने का विवरण पत्र	186
परिशिष्ट 3.3	निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमिताएँ जो कि मार्च 2014 तक लम्बित थी, के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र	187